यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून के 06/2016 से 08/2020 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16-09-2020 से 22-09-2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. **भाग-Iपरिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.2016 से 25.06.2016 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी जिसमें 04/2011 से 05/2016 तक के लेखाओं की जाँच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून

(अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अवशेष**			
							स्थापना		**गैर स्थापना**	
	स्था.	**गैर स्था.**	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि०	बचत/ समर्पित	आधि.	बचत/समर्पित
2017-18	-	-	61.22	58.47	-	-	-	2.75	-	-
2018-19	-	-	56.66	51.72	-	-	-	4.94	-	-
2019-20	-	-	72.17	61.86	-	-	-	10.31	-	-
2020-21 (8/2020)			79.83	24.68	-	-	-	55.15	-	-

(ब)Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

जिला अधिकारी
उपनियंत्रक
सहायक उपनियंत्रक (Senior Scale)
सहायक उपनियंत्रक
स्टोर मेन
कनिष्ठ सहायक

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। नवम्बर 2017 एवं फरवरी 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01: विभाग की स्थापना से वर्तमान तक स्वंय - सेवकों हेतु नियमावली निर्धारित न किया जाना।

आधुनिक युद्ध सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों मे भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है। नागरिक सुरक्षा कोर की सामाजिक उपयोगिता, विशेषतः युद्धकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सिद्ध होती है। युद्ध के समय एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय देश की आंतरिक व्यवस्था मे व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिये नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उदेश्य हवाई आक्रमण से जन धन की हानि को कम करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों मे सहयोग करना तथा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना है।

उपर्युक्त से संबन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि अगस्त 2020 तक 3176 लोगों को विभिन्न कार्यों हेतु प्रशिक्षित किया गया था परंतु प्रशिक्षित लोगों द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु कोई नियमावली नहीं बनाई गयी है। उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि नागरिक सुरक्षा वार्डनो/स्वयं - सेवकों की नियमावली बनाये जाने हेतु निदेशालय से अनुरोध किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की स्थापना किये हुये लम्बी अवधि व्यतीत हो गयी है परंतु अभी तक नियमावली नहीं बनाई गयी है, जो विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है एवं जिससे स्वयं सेवकों के दुर्घटना आदि पर सहायता का प्रावधान हो।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- अनुमन्य मद के विपरीत रू 0.59 लाख का व्यय करना ।

कार्यालय उपनियन्त्रक नागरिक सुरक्षा देहरादून के माह जून 2016 से 2020-21 (अगस्त 2020 तक) के बाउचर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा व्यापवर्तन कर धनराशि स्वीकृत मद में व्यय न कर अन्य मदों में व्यय किया गया। ऐसे किये गये व्यय का विवरण निम्न हैः-

क्र.सं.	**भुगतान का विवरण**	**बिल सख्या**	**दिनॉक**	**मदजिस में व्यय किया गया**	**अनुमन्य मद**	**धनराशि**
01	कन्सलटैन्सी सेवाये	3576	19.07.16	42	16	1789
02	कन्सलटैन्सी सेवाये	3594	19.07.16	42	16	1789
03	कन्सलटैन्सी सेवाये	3480	26.05.16	42	16	1182
04	कन्सलटैन्सीसे वाये	3745	17.10.16	08	16	1773
05	कन्सलटैन्सी सेवाये	3856	14.01.17	08	16	1773
06	कम्प्यूटर अनुरक्षण	207	30.07.16	08	47	2000
07	कन्सलटैन्सी सेवाये	4097	30.6.17	08	16	1438
08	कम्प्यूटर अनुरक्षण	73/	20.07.17	12	47	3246
10	कन्सलटैन्सी सेवाये	223	23.10.17	08	16	3752
11	कम्प्यूटर हार्डवेयर	364	23.12.17	47	46	7000
12	कन्सलटैन्सी सेवाये	400	26.10.18	08	16	3540
13	कन्सलटैन्सी सेवाये	242	25.07.18	08	16	2407
14	कन्सलटैन्सी सेवाये	49	20.05.19	08	16	4460
15	कन्सलटैन्सी सेवाये	245/247/150/246	29.07.19	08	16	7728
16	कम्पयूटर अनुरक्षण	933	11.09.19	08	47	4121
17	कन्सलटैन्सी सेवाये	343/366	06.09.19	08	16	2950
18	कन्सलटैन्सी सेवाये	243	25.07.18	08	16	2620
19	कन्सलटैन्सी सेवाये	384/485	21.10.19	08	16	3976
20	कन्सलटैन्सी सेवाये	606	05.02.20	08	16	1475
योग						**59019**

इस प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त सारणी के अनुसार व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि भविष्य में आवंटित मद के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अनुमन्य मद के विपरीत रू 0.59 लाख अन्य मदों में व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भागदो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0	अभियुक्ति
07/2016-17	-	1	-	
		त्रुटिपूर्ण आंकलन के कारण निरंतर 03 वर्षो मे वेतन तथा प्रशिक्षण मदों मे रु० 90.45 लाख का समर्पण		प्रस्तर निस्तारित किया जाता है।

भाग-IV

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

   सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री छत्र सिंह बोथ्वाल	उपनियंत्रक	01.08.2008 से 21.11.2018
2	श्री मनुज गोयल	उपनियंत्रक	30.11.2018 से 06.03.2018
3	श्री अभिषेक रूहेला	उपनियंत्रक	07.03.2019 से 01.12.2019
4	श्री अवधेश कुमार सिंह	उपनियंत्रक	02.12.2019 से 01.01 2020
5	श्रीमती अनुराधा पाल	उपनियंत्रक	02.01.2020 से 01.07.2020
6	श्री अवधेश कुमार सिंह	उपनियंत्रक	02.07.2020 से 13.08.2020
7	श्रीमती कुश्म चौहान	उपनियंत्रक	14.08.2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ एवं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी मे सम्मिलित कर एक प्रति उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप.महालेखाकार/एएमजी-IIIकार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III